न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार निवासी एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर

GCMS No-2023/75

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.3.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. उपजिला कलेक्टर खण्डार को दिनांक 7.2.2023 को प्रार्थना पत्र व दिनांक 6.3.2023 को स्मरण पत्र के संबंध में अति0जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के द्वारा दिनांक 5.1.2023 के संबंध में आज तक की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण देने बाबत। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/615 दिनांक 18.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 614 दिनांक 17.7.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित नही होने के कारण उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 7.2.2023 में पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 एवं 18.11.2022 पर की गयी कार्यवाही के संबंध मे जानकारी चाही गयी है। उक्त सूचना के संबंध में अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी जो अपील क्रमांक 12/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 3.3.2023 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 31.3.2023 को विस्तृत विवेचना के साथ अपील का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट अप्रत्यक्ष [illegible] प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 पर की कार्यवाही के संबंध में जानकारी हेतु अपी[illegible] कर रहा है जो गलत है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खा[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] यालय मे [illegible] गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:39:40 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर